14/9/2020

वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सम्मिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा कटी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.
आर.सी.एम.एस

मु0नं0 60/15

2015/00060

तारीख रजू 26.10.2015

ठाकुरजी मंदिर गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये कार्यवाहक सदस्य, प्रबन्धक एवं नेक्सट फ्रैण्ड राजजीलाल पुत्र हजारीलाल एवं नेमीचन्द पुत्र श्री रेवती प्रसाद जाति अग्रवाल महाजन निवासी करौली तहसील व जिला करौली

—वादी

बनाम

1. मुरारीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता (बखतपुरा वाले) जाति महाजन निवासी ट्रक यूनियन करौली तह0 करौली राजस्थान
2. तहसीलदार तहसील करौली राज0 लैण्ड होल्डर

—प्रतिवादीगण

दावा 188, 183 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः—14.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 317,319,320 कुल किता 3 कुल रकवा 21 बीघा 9 विस्वा कस्बा करौली वादी ठाकुर जी की खातेदारी पर कब्जे काश्त की है ठाकुर गोविन्द देव जी साश्वत नाबालिग है वादी की सेवा राग भोग व जमीन जायदाद की व्यवस्था व अन्य कार्यवाही अग्रवाल समाज करौली द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। हम रामजीलाल व नेमीचन्द दावा करने के लिए अधिकृत है। हमारा कोई एडवर्स इंट्रेस्ट वादी से नही हैं इसलिए यह दावा वहैसियत सदस्य प्रबन्धक व नेक्सट फ्रैण्ड द्वारा वादी के हित में किया जा रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 को आराजी मुतनाजा मुन्दर्जे पैरा नंबर 1 वादी की ओर से साल दर साल लीज पर 2 हजार रू0 प्रति साल पर दे रखी थी। प्रतिवादी पर वादी के 1.7.10 से 30.6.15 तक दस हजार रू0 लीज राशि बकाया है। प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 25.05.15 को लीज दिनांक 30.06.15 से कैन्सिल करने व बकाया राशि जमा कराने का रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस भी दिया जा चुका है। तथा नोटिस के जरिये लीज कैन्सिल की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद प्राप्ति नोटिस प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी को जमीन खाली करके कब्जा नही संभलवाया और प्रतिवादी नंबर 1 उक्त भूमि पर बतौर ट्रेस पासर काबिज है। इसलिये वादी प्रतिवादी नंबर 1 को भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 1 भूमि में जबरन प्लाट काटकर वहन, वय करने एवं निर्माण करने पर तुला हुआ है। उसने दिनांक 02.08.15 को जमीन को रहन वय करने व ताकत वाले लोगो का कब्जा कराकर निर्माण कराने की धमकी दी है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं दौरानें दावा प्रतिवादी को अधिक कब्जा रखने के एवज में पचास हजार रू0 साल का हर्जाना वादी को दिलाया जावे। अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया जाता है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने उपस्थित होकर जरिये वकील जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है कि भूमि कस्बा करौली में स्थित है किन्तु वादी ठाकुरजी की खातेदारी व कब्जे की होना गलत है। वादी द्वारा दो हजार रू0 साल पर दे रखी होना गलत दर्ज किया है। एवं प्रतिवादी पर वादी के दिनांक 01.07.2010 से दिनांक 30.6.15 तक दस हजार रू0 लीज राशि बकाया होना गलत है। बल्कि उक्त आराजी की वादी मंदिर व्यस्थापकों द्वारा बोली की गई जो सूरजलाल के नाम छूटी प्रतिवादी नं0 1 सूरजलाल का साला लगता है। वर्ष 1974 में ही सूरजलाल ने प्रतिवादी नं0 1 को बेचान कर दिया तभी से प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया। लेवलिंग कर लाखो रू0 खर्च किये हैं तभी से प्रतिवादी नं0 1 का लगातार कब्जा काश्त है। जो वादी की पूर्ण जानकारी में है। वादी द्वारा सूरजलाल को दावा में पक्षकार नही बनाया है। बगैर पक्षकार सूरजलाल को बनाये दावा चलने योग्य नहीं है। दिनांक 25.05.2015 को नोटिस देने वाली बात गलत दर्ज की है। कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। दावा वादी म्याद बाहर है। उक्त आराजी से वादी का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी का 42 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। वादी को भूमि पर दखल प्राप्त करने का अधिकार नही है। वादी प्रतिवादी को पाबन्द कराने का हकदार नहीं है। वादी पचास हजार रू0 लीज हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने झूठा वाद कारण बनाने के उद्देश्य से झूठी कहानी दर्ज की है। अन्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादी नं0 1 के अभिवचन के आधार पर निम्न विवाघक बिन्दु विचरित किये गये।

1. आया विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। – वादी
2. आया प्रतिवादी नं0 1 विवादित जमीन पर बहैसियत ट्रेस पासर काबिज है। – वादी
3. आया वादी विवादित जमीन का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। – वादी
4. आया वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व 50000 रू0 बतौर हर्जा इस्तेमाली प्राप्त करने का अधिकारी है। – वादी
5. आया प्रतिवादी 42 साल से अधिक समय से जमीन को काश्त कर रहा है। – प्रतिवादी
6. आया वादी ने प्रतिवादी को विवादित जमीन का बेचान कर दिया है। – प्रतिवादी
7. दादरसी

वाद विवादक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गयी वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामजीलाल PW 1 के बयान लेखबध्द कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 प्रदर्श–1 व नोटिस दिनांक 22.05.15 प्रदर्श–2 पोस्टल रसीद प्रदर्श–3 ए0डी0 प्राप्त की रसीद प्रदर्श–4 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है।

साक्ष्य वादी समाप्त कर साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली निहित की गई। वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 18.02.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई दिनांक 08.09.2020 को प्रतिवादी व वकील प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की है। बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वाद ग्रस्त आराजी वादी मंदिर गोविन्द देवजी के खातेदारी व कब्जे की है। वादी रामजीलाल व नेमीचन्द मंदिर के प्रतिनिधी प्रबन्धक है और दावा मंदिर जायदाद का करने को अधिकृत है। प्रतिवादी को उक्त भूमि को साल दर साल 2000/रूपये साल पर दे रखी थी वादी व प्रतिवादी पर दिनांक 1.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

10 से दिनांक 30.6.15 तक 10000/रूपये लीज राशि बकाया ळै। भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा बतौर ट्रेस पासर है। प्रतिवादी भूमि में भूखण्ड काटकर भूमि को विक्रय करने पर आमादा है वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा के लिए प्रति0 नं0 1 के विरूद्व वादी मंदिर की ओर से दावा किया गया है। वादी भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी प्रतिवादी नं0 1 से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं लीज राशि व हर्जा इरतेमाली 50000/रूपये प्रति0 नं0 1 से प्राप्त करने का हकदार है दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विवाधक सं0 1 ता 4 को वास्ते करने का भार वादी पर है वादी को इस सम्बन्ध में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 प्रदर्श–1 व नोटिस प्रदर्श–2 पोस्टल रसीद प्रदर्श–3 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श–4 प्रस्तुत कर वादी रामजीलाल का मौखिक बयान न्यायालय में करा कर दावा व दस्तावेज को साबित किया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया विवाधक सं0 1 ता 4 वादी मंदिर भूमि का खातेदार होने से एवं प्रतिवादी का कब्जा बतौर ट्रेस पासर होने से वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व तय किये जाते है। विवाधक सं0 5 व 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर या प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है अतः विवाधक सं0 5 व 6 प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व वादी के पक्ष में तय किये जाकर निर्णीत किये जाते है।

विवाधक सं0 7 दादरसी है प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी प्रदर्श–1 से वादी मंदिर वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसमें कोई हक हकूक प्रति0 नं0 1 को प्राप्त नही होते है प्रतिवादी का कब्जा वतौर अतिक्रमी है। वादी मंदिर भूमि पर दखल पाने एवं प्रतिवादी नं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 ड्रिकी किया जाता है कि वादी मंदिर ठा0 गोविन्द देवजी विराजमान कस्बा करौली वाद ग्रस्त आराजी ख0नं0 317,319,320 कुल किता 3 कुल रकवा 21 बीघा 9 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 तह0 करौली पर प्रतिवादी नं0 1 से दखल कराकर कब्जा वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 को वेदखल कर वादी को भूमि पर कब्जा सम्भलवाये। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन वय नही करें ना किसी अन्य से करावे। लीज राशि व हर्जा इस्तेमाली दावा वादी सक्षम न्यायालय से वसूली कार्यवाही प्रति0 नं0 1 विक्रय करने को स्वतंत्र तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner